

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
( DEPARTMENT OF REVENUE )

• • • •

New Delhi, the 25th June, 1997

NOTIFICATION  
(INCOME TAX)

S.O.No. In exercise of the powers conferred by sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies " Sir Dorabji Tata Trust, Mumbai " for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1996-97 to 1998-99 subject to the following conditions, namely:-

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

*W.S.*  
( H. K. CHAUDHARY )

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

Notification No. 10376  
To

(F.No.197/61/97-ITA-I)

The Manager,  
Government of India Press,  
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,  
(Near Rajeuri Garden), New Delhi.

## भारत के राजपत्र के भाग II, छण्ड ३१ में प्रकाशितार्थ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक २५ जून, १९९७

### अधिसूचना

#### I आयकर

का०आ०स० आयकर अधिनियम, १९६१। १९६१ का ४३<sup>१</sup> की धारा १० के छण्ड १२३-ग के उपछंड १८<sup>२</sup> द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "सर दोराबजी टाटा इस्ट, मुम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष १९९६-९७ से १९९८-९९ तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत रहते हुए उक्त उपछंड के प्रयोगार्थ अधिसूचित करती है, अद्विः-

१। कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उनउद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

२। कर-निर्धारिती ऊर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी क्राधि के दौरान धारा १। की उपधारा ५<sup>३</sup> में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक हँग वर्धन तरीकों से भिन्न तरीकोंसे इसकीनिर्धारिती जैवर-ज्याहिरात, पर्माचिर आदि के रूप में प्राप्त तथा रस-रसायन में स्वैच्छक विद्यान से भिन्न<sup>४</sup> का निकेतनहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

३। यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त नाभ तथा उभिलाभ के स्थ में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्तिग्रिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में ज्ञान से लेखा-पूस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों

इएवंके. चौधरी  
कर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना स० ०३७६      फा०स० १९७/६/९७-आयकर नि०-१

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,  
टिंग रोड, मायापुरी औरोगिल ब्लैक,  
इराजौरी मार्डन के समीप, नई दिल्ली ।